कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / पीएसपी–सी / अ–2 / 60566 / 2020–21 दिनांक :– 27.08.2020

विज्ञप्ति

गैर सरकारी क्षेत्र मे संचालित विद्यालयों की प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की क्रमोन्नति, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय / विषय शुरू करने, भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम आदि की स्वीकृति हेतु इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2020–21 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प09 (6) शिक्षा–5 / ऑन लाइन मान्यता / 2020–21 जयपुर दिनांक 30.06.2020 के क्रम में ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं :–

क्रम सं0	विवरण	निर्धारित तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की वेबसाईट, प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) में विद्यालय लॉगइन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर, ऑनलाइन अपलोड कर, आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	02.9. 2020 से 1 अक्टूबर 2020
2	विलम्ब शुल्क राशि रूपये 10,000 सहित गैर सरकारी शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात आवेदन करना।	01 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर तक।

निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि ई–ग्रास के माध्यम से जमा करानी होगी। प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की क्रमोन्नति हेतु तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों मे अतिरिक्त संकाय / विषय, भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम आदि की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आवेदन शुल्क एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक कार्यालय एवं पीएसपी पोर्टल www.rajpsp.nic.in तथा विभाग की निर्धारित वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर।

गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाईन

मान्यता दिये जाने सम्बंधी दिशा–निर्देश

सत्र 2020–21

गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने संबंधी दिशा–निर्देश 2020–21

अध्याय–1 : परिचय

राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 37 हजार से अधिक संस्थाऐं संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय–समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016–17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाइन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2020–21 में ऑनलाइन मान्यता हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए **करणीय कार्यो के सम्बन्ध में** राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं /आदेश /परिपत्रों के आधार पर तैयार कर विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम /नियम /अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों में कोई विसंगति पायी जाए तो मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना /आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।

अध्याय–2 : आवेदन एवं पात्रता

1. **आवेदन करना** – राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, सोसायटी परिवर्तन,अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय,दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि) के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। यह आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा।

2. **नवीन मान्यता, क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यताओं हेतु पात्रता** – कोई भी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1–5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1–8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट–1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय,माध्यम परिवर्तन,सोसायटी परिवर्तन, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट–2 क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप)। इन समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :–

2.1. **आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं** :– विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार होगी।

2.2. **शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द** :– विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट–4 के अनुसार होंगे।

2.3. **सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण** :–संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्केन करके अपलोड करना होगा।

2.4 **सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य** :– संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा।

2.5 **शुल्क** :– मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण परिशिष्ट–5 पर संलग्न है। समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ऑनलाइन ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से बनेगा। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही देनी होगी तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. तथा फिक्सड डिपोजिट की गयी राशि का विवरण आवेदन पत्र की जॉच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् संस्था के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में ही देना होगा। इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को समय पर सूचित किया जाएगा। समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही मान्यता जारी की जायेगी। **समस्त प्रकार का आवेदन शुल्क अदेय (Non Refundable)रहेगा ।**

2.6 **शपथ पत्र** :– सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बंधित दी जा रही प्रमुख सूचनाओं को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट–6 पर संलग्न है।

2.7 **विद्यालयों को दी जाने वाली छूट** :– गैर–सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण एवं अन्य छूट दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(2)शिक्षा–5/2010 पार्ट0 3.07.2012, 20.07. 2012, 14.08.2012, 06.05.2013, 31.05.13 एवं आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा–5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा प्रदत्त छूट/शिथिलन **नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु लागू नहीं रहेगी।**

2.8 **विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू भूमि सम्बन्धित नवीन/संशोधित अनिवार्यता:–** गैर सरकारी विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अनिवार्यता में शिथिलन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार स्तर से सक्षम स्वीकृति उपरान्त जारी आदेश क्रमांक प.9(6)शिक्षा–5/आनलाइन मान्यता/2020–21 जयपुर

दिनांक 23.07.2020 के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के माप की अनिवार्यता को पूर्व में प्रभावी 5000 वर्गमीटर से संशोधित कर 4000 वर्गमीटर वर्तमान सत्र से प्रभावी कर दिया गया हैं।

2.9 किसी भी प्रकार के आवेदन/परिवर्तन के लिए औचित्य सहित प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।

2.10 किराये के भवन को रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करने पर भवन परिवर्तन की स्वीकृति दी जाएगी।

2.11 विद्यालय के स्थान परिवर्तन किये जाने पर आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिये नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।

2.12 दो पारी में वर्तमान में संचालित शिक्षण संस्थाओं को 03 माह की अवधि (विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से)में निर्धारित शुल्क (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के लिए 1,00,000 रूपये एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 3,00,000 रूपये) जमा करवाये जाकर स्वीकृति प्राप्त करनी है। विलम्ब करने की स्थिति में 10,000 रूपये प्रति 30 दिवस पर शास्ति वसूल की जाएगी।

3. आवेदन की प्रक्रिया –

3.1. **विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना** – सभी प्रकार की मान्यताओं हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वंय का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन गैर–सरकारी विद्यालयों के पास इस पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु पहले से ही पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध है, वे विद्यालय मान्यता हेतु भी उसी पासवर्ड से लॉगिन करें। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।

3.2 **विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि** – लॉगिन करने के बाद विद्यालय अपनी आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाऐं एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें।

3.3 **विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना** – मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट–7)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही स्केन कर के पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज पीडीएफ./जेपीजी. फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक एमबी से कम साइज का होना आवश्यक है।

3.4 **आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क को जमा करवाना** – विभिन्न प्रकार की मान्यता के लिए शुल्क की राशि भी अलग–अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा होगी।

3.5 **आवेदन की हार्ड कॉपी तैयार करना** – समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि के बाद ई–ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवाने एवं चालान की प्रति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट–8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 फोटो जो अपलोड किये गये है, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। उक्त हार्ड कॉपी मय संलग्न पत्रावली निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले जॉच दल के प्रभारी को विद्यालय निरीक्षण के समय संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

3.6 प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय को प्रेषित किये जाएंगे।

3.7 जो विद्यालय पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम/स्थान/माध्यम/वर्ग परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

अध्याय–4 : आवेदन पत्रों की जॉच

4. **आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त करना एवं ऑन लाइन जॉच करना–**

4.1 संस्था द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन की पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त करते समय पत्रावली में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों का ठीक से मिलान कर लें।

4.2 आवेदन पत्रों की जॉच का कार्य ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। यह जॉच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्रावली के माध्यम से की जायेगी।

4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा दी गई मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का मिलान करना है। ये जॉच लें आवेदन शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है, उतनी राशि ई–ग्रास के माध्यम से विद्यालय द्वारा जमा करवा दी गई है। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवा दिये गए हैं।

4.4 विद्यालय टीएसपी. अथवा नॉन टीएसपी. एरिया में है, इसकी भी जॉच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।

4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की जॉच करने के पश्चात् ऑन लाइन आवेदन के समय संस्था द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का मिलान किया जाना है। ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेजों को खोलकर देख लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सही दस्तावेज ही अपलोड किये गये हैं।

4.6 मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ई–ग्रास संबंधी अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ई–ग्रास में जमा शुल्क राशि से मिलान नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने सही नहीं पाया गया का विकल्प चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने संबंधी क्षेत्र अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी।

4.7 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद आगामी पॉच कार्य दिवसों में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन को ऑनलाईन पुनः लॉक करना है।जिसकी सूचना सम्बंधित जिशिअ के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी। संस्था द्वारा प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके। निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा आवेदन लॉक एवं पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति मे विद्यालय का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए आवेदक विद्यालय स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

4.8 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हॉर्डकॉपी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की तिथियों के उपरान्त भी स्वीकार किये जाएंगे। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जाएगा तथा इसकी सूचना संस्था को पोर्टल पर दे दी जाएगी।

4.9 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों की प्रविष्टियॉ सही पायी जाती हैं, उन विद्यालयों के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जॉच की जा सकेगी।

4.10 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाये जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर विद्यालय लॉगइन में प्रदर्शित होगी। विद्यालय भौतिक निरीक्षण के समय ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 02 प्रतियों में पत्रावली तैयार कर एक पत्रावली निरीक्षण दल को उपलब्ध करवानी होगी तथा एक पत्रावली विद्यालय द्वारा स्वयं के रिकॉर्ड संधारण हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवायी जाने वाली पत्रावली को मय निरीक्षण रिपोर्ट (हॉर्डकॉपी) दल प्रभारी द्वारा 02 दिवस की अवधि में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी होगी।

4.11 गैर सरकारी विद्यालयों के आवेदन प्रक्रिया में सम्पर्ण पारदर्शिता एवं आवेदक विद्यालय को सूचना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :–
निरीक्षण दल गठन की सूचना, आक्षेपित प्रकरणों की सूचना, निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन/निरस्त जारी करना, जिशिअ के द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र 07 दिवस में जारी करने की सूचना विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी तथा मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को जिशिअ द्वारा 07 दिवस की अवधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाएगा।

अध्याय–5 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठनः–

5.1 संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन एक दल द्वारा किया जाएगा जिसका गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, जिसकी सूचना भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी।

5.2 विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् ई–ग्रास के मार्फत निर्धारित शुल्क जमा करवा देने की स्थिति में स्वतः हीं ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भौतिक निरीक्षण हेतु दल गठन का कार्य सम्पन्न हो जाएगा। जिसकी सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित होगी।

5.3 निरीक्षण दल के प्रभारी को एस.एम.एस के द्वारा विद्यालय निरीक्षण की सूचना स्वतः ही उपलब्ध होगी। निरीक्षण दल के प्रभारी को शालादर्पण के स्टॉफ लॉगइन में जाकर गठित दल के 02 अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर मॉड्यूल में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति को डाउनलोड कर विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दुओं की पूर्ति कर लेने के पश्चात् दल प्रभारी के शाला दर्पण में उपलब्ध स्टॉफ लॉगइन में जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन को अनुशंसा सहित अपलोड (07 दिवस) करना है। सम्बंधित विद्यालय से आवेदन प्रपत्र, शुल्क की चालान की प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्राप्त कर आगामी 02 दिवस में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करना हैं।

5.4 निरीक्षण दल के प्रभारी को उपलब्ध करवाये गये 02 कार्मिकों को उचित कारण (जिशिअ को कारण की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ जमा करवानी है) होने पर स्वयं प्रभारी द्वारा परिवर्तित करने की सुविधा स्टॉफ लॉगईन में उपलब्ध है। दल प्रभारी/समस्त दल के कार्मिको को बदलने हेतु जिशिअ के माध्यम से निदेशालय को प्रार्थना पत्र अग्रेषित किया जाना है।

5.5 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल दो सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में /अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि.कार्यालय जिशिअ. मुख्यालय /अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।

5.6 गैर सरकारी विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उमावि./अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि. कार्यालय जिशिअ.मुख्यालय/समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मावि./समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक/मंत्रालयिक कर्मचारी लगाया जाएगा।

5.7 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।

6.विद्यालय का निरीक्षण/भौतिक सत्यापनः–

6.1 सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। सत्यापन के बाद अगले 02 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि तक निरीक्षण प्रपत्र जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6.2 निरीक्षण दलों को सामान्यतः बदला नहीं जायेगा। केवल निरीक्षण दल के सदस्यों की मृत्यु, स्थानान्तरण, पदोन्नति पर अन्यत्र कार्यग्रहण अथवा गंभीर बीमारी के कारण कार्य करने मे असमर्थता की स्थिति में ही निरीक्षण दल बदला जा सकेगा। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय को दी जाएगी तथा निदेशालय द्वारा तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में नयें निरीक्षण दल का गठन ऑन लाइन तरीके से करना होगा।

6.3 निरीक्षण कर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में जमा करानी होगी।

6.4 विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन करना है। सत्यापन दल को सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा करनी होगी।

6.5 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं हॉर्डकॉपी मय पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में 02 दिवस की अवधि की में जमा करवाना है।

6.6 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित/दी गई सूचनाओं के संबध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अध्याय–6 मान्यता अनुमोदन

7. मान्यता का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करनाः–

7.1 निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारी भली–भांति अध्ययन कर लें। प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर दें तथा अपना अभिमत भी दर्ज कर दें।

7.2 मान्यता के जो आवेदन पत्र अनुमोदन हेतु निदेशालय भिजवाए जाने हैं उन विद्यालयों की सूचना ऑनलाइन दर्ज कर दें तथा पत्रावलियों को तत्काल निदेशालय प्रेषित कर दें।

7.3 निदेशालय द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त पत्रावलियों की सूचना ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा जिन पत्रावलियों पर अनुमोदन दिया जाएगा उनकी सूचना भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।

7.4 यदि किसी विद्यालय के मान्यता आवेदन में एक से अधिक विकल्पों का चयन किया गया है तो राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त शेष विकल्पों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा तथा प्रकरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा।

अध्याय–6(A)मान्यता प्रमाण–पत्र/निरस्ति प्रमाण पत्र जारी करना

8. विद्यालयों को मान्यता प्रमाण–पत्र जारी करनाः–

8.1 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु स्पष्ट अभिषंशा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिये जाने की अभिशंषा की गयी है उन संस्थाओं/विद्यालयों को गुणावगुण एंव समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा। मान्यता अथवा अपात्र होने की सूचना एनआईसी द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा संबंधित संस्था को 4 कार्य दिवस में दिया जाना सूनिश्चित किया जावें।

8.2 ऐसे पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट मान्यता अनुमोदन के 7 दिवस से पूर्व अथवा मान्यता दिए जाने की अंतिम तिथि जो भी पहले है तक जमा कराने हेतु संबंधित संस्था को पत्र भेजा जाएगा।

8.3 निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगीं। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक यह दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाऐंगे। इसकी सूचना एन.आई.सी द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा संबंधित संस्था को दिया जाना सूनिश्चित किया जावें।

8.4 उपरोक्त दस्तावेज के विवरण की ऑनलाईन प्रविष्टि के बाद इन विद्यालयों को मान्यता का प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण–पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।

8.5 जिन विद्यालयों कि मान्यता के लिए निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है उन विद्यालयों को मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ की जाएगी जो उपरोक्तानुसार ही रहेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय द्वारा भी इनको सूचित किया जाएगा।

8.6 समस्त विद्यालयों की मान्यताऐं निर्धारित तिथि तक तथा संभव एक साथ जारी की जाऐंगी। निर्धारित तिथि तक मान्यता का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

9. **मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करनाः–** जिन विद्यालयों के आवेदन को निरीक्षण के दौरान अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अथवा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने योग्य नहीं पाया गया है उनकी सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट की जाए तथा इस सूचना का पत्र ऑनलाइन प्रिंट कर आवेदनकर्ता सोसाइटी को भी प्रेषित किया जाएगा।

10. सत्र 2020–21 के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) हेतु टाइम फ्रेमः–

क्र.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	मान्यता हेतु विज्ञप्ति प्रसारित करना।	27 August..... 2020 से	निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/राज्य सरकार
2.	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर ऑनलाइन अपलॉड कर आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	01 अक्टूबर 2020 तक	सम्बन्धित संस्था
3.	विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण कर ई–ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में स्वतः हीं निरीक्षण दल का गठन हो जाएगा। (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	01 सितम्बर 2020 से लगातार............	सम्बन्धित संस्था, निरीक्षण दल एवं जिशिअ. कार्यालय
4.	निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना व विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी विद्यालय से प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के क्रम में सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित 07 दिवस में जिशिअ. कार्यालय में जमा करवाना। (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	01 सितम्बर 2020 से लगातार...........	संबंधित संस्था, पैनल दल एवं संबंधित जिशिअ. कार्यालय
5.	निरीक्षण दल के द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्राप्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं हॉर्डकॉपी को निदेशालय को प्रेषित करना।(यदि आक्षेप हो तो आक्षेप पूर्ति के 07 दिवस के भीतर) परिशिष्ठ 06 की पूर्ति के साथ।	01 सितम्बर 2020 से लगातार......	संबंधित जिशिअ एवं निदेशालय प्राशि. एवं माशि.
6.	निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी करना	01 अक्टूबर से लगातार.....	निदेशालय माशि/प्राशि. राजस्थान
7.	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में आरक्षित कोष की राशि डी.डी के रूप में प्राप्त करना।	निदेशालय से अनुमोदन उपरान्त एक माह की अवधि में	कार्यालय जिशिअ. प्राशि/माशि मुख्यालय
8.	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	01 अक्टूबर 2020 से लगातार.........	कार्यालय जिशिअ. प्राशि/ माशि. मुख्यालय
9.	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित कर सूचित करना।	01 अक्टूबर 2020 से लगातार.....	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
10.	विलम्ब शुल्क सहित गैर सरकारी शिक्षण संस्था द्वारा वर्तमान सत्र में मान्यता प्राप्त करने का अवसर जिसमें ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर ऑनलाइन अपलॉड कर आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	01 नवम्बर 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक	संबंधित संस्था

उपरोक्त टाइम फ्रेम का पालन विद्यालयों एवं कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। विद्यालयों द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने की स्थिति में वे मान्यता हेतु अपात्र हो जाएंगे तथा कार्यालय स्तर पर टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी/कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आवेदन पत्र क्रमांक – .... विद्यालय का नाम –..परिशिष्ट –1

गैर–सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय)......................(जिले का नाम)

विषयः–शैक्षिक सत्र 2020–21 से.......................(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि .... (सोसाइटी का पूरा नाम) एक विद्यालय...(विद्यालय का पूरा नाम) ....(विद्यालय का पूरा पता) में संचालित करती है/करना चाहती है।

सोसाइटी इस विद्यालय की ....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क.. ....(राशि रूपये में) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक ..../...../........एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2020–21 से................................ ....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) की मान्यता देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांकः.../....../..........
संलग्नःउपरोक्तानुसार

सोसाइटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसाइटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसाइटी की मोहर

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव

परिशिष्ट–1(ए)

आवेदन पत्र क्रमांक.......................................विद्यालय का नाम..

आवेदन का प्रकार

1.	नवीन मान्यता का स्तर	..........(प्राथमिक 1 से 5 / उच्च प्राथमिक 1 से 8 / क्रमोन्नति 6 से 8)
2.	मान्यता का माध्यम	..........(हिन्दी / अग्रेजी)
3.	क्या विद्यालय मान्यता के वर्ष से ही कक्षा–6 के साथ 7 एवं 8 संचालित करना चाहता है ?	...........(हां / नहीं)

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरणः–

क.स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
02.	सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
04.	विद्यालय नवीन मान्यता / क्रमोन्नति / नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादि के संबंध में कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
05.	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियॉ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति (भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेजों की प्रति सहित)
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11.	विद्यालय की आय–व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षो की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)
12.	विद्यालय के पॉच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये है।
13.	मान्यता शुल्क का ई–ग्रास चालान

हस्ताक्षर

सोसायटी सचिव

परिशिष्ट–1(बी)

आवेदन पत्र क्रमांक.......................... विद्यालय का नाम..

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरणः–

क.स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
02.	सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
03	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति
04.	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण पत्र (नवीन मान्यता के आवदेन में लागू नहीं)
05.	विद्यालय के पॉच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये है।
06	शपथ पत्र

परिशिष्ट–1(सी)

गैर सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु विस्तृत आवेदन पत्र

1. आवेदन दिनांक–	विद्यालय विवरणः–		
1.2 आवेदन का प्रकार	○ कक्षा 1 से 5	○ कक्षा 1 से 8	
1.3 क्या विद्यालय मान्यता वर्श से ही कक्षा 6 के साथ 7 व 8 भी संचालित करना चाहता है ?		○ हां	○ नहीं
1.4 जिला		1.5 ब्लॉक	
1.6 ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.		1.7 ग्राम/वार्ड	
1.8 विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)			
1.9 विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)			
1.10 विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)			
1.11 ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		1.12 नजदीकी पुलिस थाने का नाम	
1.13 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		1.14 विद्यालय का फोन नंम्बर	
1.15 विद्यालय की ई–मेल आईडी		1.16 विद्यालय की वेबसाईट	
1.17 मान्यता हेतु विद्यालय का प्रकार	○ बालिका ○ सहशिक्षा	1.18 मान्यता हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	○ हिन्दी ○ अंग्रेजी
1.19 संस्था प्रधान का नाम		1.20 संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर	
1.21 क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	○ हां ○ नहीं	1.22 क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है ?	○ हां ○ नहीं

2 सोसाइटी की जानकारीः–

2.1 सोसाइटी संचालन कर्ता का नाम			
2.2 सोसाइटी पंजीयन संख्या		2.3 सोसाइटी पंजीयन वर्श एवं दिनांक	
2.4 सोसाइटी का पूरा पता			
2.5 सोसाइटी का दूरभाश नम्बर			
2.6 अध्यक्ष का नाम		2.7 अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर	
2.8 सचिव का नाम		2.9 सचिव का मोबाईल नम्बर	
2.10 क्या सोसाइटी के उद्देशयों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का निर्णय लिया गया है ?		○ हां	○ नहीं
2.11 क्या सोसाइटी सदस्यों की परिशद बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?		○ हां	○ नहीं
		○	○
		○	○

3. शुल्क का विवरण

5.1 मान्यता शुल्क		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	
5.2 बालिका फाउण्डेशन		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	
5.1 सावधि जमा (Fd)		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	

4. विद्यालय भवन से संबंधित जानकारियां

4.1 विद्यालय भवन की स्थिति	○ स्वयं सोसाइटी का ○ किराये का	4.2 क्या विद्यालय भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल भौक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	○ हां	○ नहीं

4.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)		4.4 विद्यालय भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)	
4.5 विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	○ कृषि ○ आवासीय ○ वाणिज्यिक ○ संस्थानिक	4.6 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	○ स्वयं सोसाइटी का ○ किराये का ○ सार्वजनिक पार्क
4.7 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	○ हां ○ नहीं	4.8 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	○ हां ○ नहीं
4.9 भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	○ हां ○ नहीं	4.9.1 अभियंता का नाम	
4.9.2 अभियंता का पद		4.9.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान	
4.9.4 अभियंता का मोबाईल नंबर			
4.10 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○ हां ○ नहीं	4.10.1 अभियंता का नाम	
4.10.2 अभियंता का पद		4.10.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान	
4.10.4 अभियंता का मोबाईल नंबर			

4.11.क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?	○ हां ○ नहीं

4.12 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	○ हां ○ नहीं	4.13 क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटें ान लाईन गुजर रही है ?	○ हां ○ नहीं

5. पेयजल/सैनेटरी सुविधा का विवरण

5.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था हैं ?	○ हां ○ नहीं	5.2 यदि हां तो क्या–क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	○ नल ○ हेण्डपम्प/ट्यूबेल ○ टांका ○ टैंकर द्वारा
5.3 बालिकाओं के लिए पृथक भौचालय/मूत्रालय की संख्या		5.4 बालिको के लिए पृथक भौचालय/मूत्रालय की संख्या	

6. अन्य विवरण

6.1 कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	○ हां ○ नहीं	6.2 कक्षा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते है	○ हां ○ नहीं
6.3 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		6.4 पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या	

6.5 छात्रों के बैठने हेतु स्टूल, टेबल की संख्या	
6.6 क्या विद्यालय में सभी बालक–बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?	○ हां ○ नहीं
6.7 विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मेटेरियल की उपलब्धता है ?	○ हां ○ नहीं
6.8 विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?	○ हां ○ नहीं

6.9 क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?	o हां o नहीं
6.10 क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?	o हां o नहीं

7. इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण

7.1 कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	औसत साईज (in sq. Mt.)
7.2 प्रधानाध्यापक कक्ष		
7.3 कार्यालय कक्ष		
7.4 अध्यापक कक्ष		
7.5 खेलकूद कक्ष		
7.6 भण्डार कक्ष		
7.7 सभा भवन		
7.8 पुस्तकालय/वाचनालय		

8. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता/पति का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	क्या शिक्षक [illegible] योग्यता रखता है	नियुक्ति तिथि	सैकण्डरी परीक्षा रोल नंबर	सैकण्डरी उत्तीर्ण वर्ष	कर्मचारी का मोबाईल नंबर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1													
2													

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव
मोहर

परिशिष्ट–2

आवेदन पत्र क्रमांक.......................विद्यालय का नाम...

गैर सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति व अन्य मान्यता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)..................................(जिले का नाम)

विषयः–शैक्षिक सत्र 2020–21 से (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / नाम / वर्गपरिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अति. विषय) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ....(सोसायटी का पूरा नाम)
एक विद्यालय...(विद्यालय का पूरा नाम)
....(विद्यालय का पूरा पता)
में संचालित करती है।

सोसायटी इस विद्यालय की...(प्राथमिक से उच्च प्राथमिक / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / वर्ग / नाम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय) के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क................(राशि रूपये में) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या........ .... दिनांक...../..../............एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2020–21 से ....(प्राथमिक से उच्च प्राथमिक / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / वर्ग / नाम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय) की मान्यता देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक....../...../..........
संलग्नः–उपरोक्तानुसार

सोसायटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसायटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसायटी की मोहर

हस्ताक्षर
सोसायटी सचिव

परिशिष्ट–2 (ए)

आवेदन का प्रकार

1. कमोन्नति

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	
विद्यालय द्वारा वांछित क्रमोन्नति का स्तर (प्रा.वि. से उ.प्रा.वि. / उ.प्रा.वि. से मा.वि. / मा.वि. से उ.मा.वि.)	

2. माध्यम परिवर्तन

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	
विद्यालय का वर्तमान माध्यम	
विद्यालय का वांछित माध्यम	

3. स्थान परिवर्तन

विवरण	विद्यालय के वर्तमान स्थान का विवरण	विद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु वांछित स्थान का विवरण
जिला		
ब्लॉक		
ग्राम पंचायत / यू.एल.बी.		
ग्राम वार्ड		
विद्यालय का स्थान		
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)		
वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी कि.मी. में)		

4. नाम परिवर्तन

विद्यालय का वर्तमान में नाम	
विद्यालय द्वारा वांछित नाम	

5. अतिरिक्त माध्यम

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	
विद्यालय का वर्तमान माध्यम	
विद्यालय का वांछित माध्यम	

6.अतिरिक्त विषय

पूर्व मान्यता अनुसार विद्यालय में संकाय	पूर्व मान्यता अनुसार संकाय में स्वीकृत विषय	विद्यालय द्वारा वाछित अतिरिक्त विषय

7.अतिरिक्त संकाय

पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में संकाय	पूर्व मान्यता अनुसार संकाय के विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त संकाय	वांछित अतिरिक्त संकाय के विषय

परिशिष्ट–2 (बी)

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरणः–

क.स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
02.	सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
04.	विद्यालय नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादि के संबंध में कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
05.	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियॉ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति।
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति (भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेजों की प्रति सहित)
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति।
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11.	विद्यालय की आय–व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षो की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)
12.	विद्यालय के पॉच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये है।
13.	मान्यता शुल्क का ई–ग्रास चालान

हस्ताक्षर
सोसायटी सचिव

परिशिष्ट–2 (सी)

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण

क.सं.	दस्तावेजों का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के भौतिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट एवं नक्शे की प्रति
4	शपथ पत्र
5	विद्यालय के पांच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
6	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण–पत्र

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव
मोहर

परिशिष्ट–2 (डी)

गैर सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु विस्तृत आवेदन पत्र

1. आवेदन दिनांक–	विद्यालय विवरण:–			
1.2 आवेदन का प्रकार	○ क्रमोन्नति (6 से 8) (9 से 10) (11 से12) ○ स्थान परिवर्तन/अतिरिक्त विषय/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त माध्यम/वर्ग परिवर्तन/नाम परिवर्तन			
1.3 क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ 7 व 8/कक्षा–9 के साथ कक्षा–10/कक्षा–11 भी संचालित करना चाहता है ?		○ हां	○ नहीं	
1.4 जिला		1.5 ब्लॉक		
1.6 ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.		1.7 ग्राम/वार्ड		
1.8 विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)				
1.9 विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)				
1.10 क्या विद्यालय मूक बधिर/दृष्टिहीन श्रेणी का है?	० हां ० नहीं			
1.11 क्या विद्यालय जनजाति क्षेत्र में संचालित है?	० हां ० नहीं	1.12 विद्यालय का स्थान (पूरा पता)		
1.13 ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		1.14 नजदीकी पुलिस थाने का नाम		
1.15 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		1.16 वद्यालय का फोन नंम्बर		
1.17 यूडाइस(UDISE) कोड यदि हो तो		1.18 विद्यालय का स्थापना वर्ष		
1.19 विद्यालय की ई–मेल आईडी		1.20 विद्यालय की वेबसाईट		
1.21 संस्था प्रधान का नाम		1.22 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर		

2 सोसाइटी की जानकारी:–

2.1 सोसाइटी संचालन कर्ता का नाम			
2.2 सोसाइटी पंजीयन संख्या		2.3 सोसाइटी पंजीयन वर्श एवं दिनांक	
2.4 सोसाइटी का पूरा पता			
2.5 सोसाइटी का दूरभाश नम्बर			
2.6 अध्यक्ष का नाम		2.7 अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर	
2.8 सचिव का नाम		2.9 सचिव का मोबाईल नम्बर	
2.10 क्या सोसाइटी के उद्देशयों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का निर्णय लिया गया है ?		○ हां	○ नहीं
2.11 क्या सोसाइटी सदस्यों की परिशद बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?		○ हां	○ नहीं
		○	○
		○	○

3. गत तीन वित्तीय वर्षों का आय/व्यय का विवरण

क्र.सं.	**वर्ष**	**आय**	**व्यय**	**सरप्लस/डेफिसिट**
1.				
2.				

4. पूर्व संचालित मान्यता से सम्बंधित जानकारी

4.1 अंतिम विभागीय मान्यता आदेश संख्या		अंतिम विभागीय मान्यता आदेश दिनांक	

4.2 पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	◦ Primary ◦ Pr. Up Pr. And Secondary Only 1-10	◦ Primary With Upper Primary (1-8) ◦ Pr. With Up Pr.Sec and Sen.Sec Only (1- 12)

4.3 पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का प्रकार	◦ Girls	◦ Co-Edu	पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	◦ Hindi	◦ English	◦ Both
4.4 विद्यालय राजस्थान बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है	○ हा	○ नहीं	यदि है तो, बोर्ड से प्राप्त सम्बद्धता का विद्यालय का कोड			
4.5 नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश संख्या			नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश दिनांक			

4.6 पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय	○ विज्ञान	अध्यापन विषय : 1........................ 2............................. 3................. . 4........................ 5............................. 6.................
	○ वाणिज्य	अध्यापन विषय : 1........................ 2............................. 3................. 4........................ 5............................. 6.................
	○ कला	अध्यापन विषय : 1........................ 2............................. 3................. 4........................ 5............................. 6.................

5. शुल्क का विवरण

5.1 मान्यता शुल्क		डी.डी.नं. / दिनांक		बैंक / ब्रांच	
5.2 बालिका फाउण्डेशन		डी.डी.नं. / दिनांक		बैंक / ब्रांच	
5.1 सावधि जमा (Fd)		डी.डी.नं. / दिनांक		बैंक / ब्रांच	

6. विद्यालय भवन से संबंधित जानकारियां

4.1 विद्यालय भवन की स्थिति	○ स्वयं सोसाइटी का ○ किराये का	4.2 क्या विद्यालय भवन / अन्य निर्माण / खेल मैदान इत्यादि केवल भौक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	○ हां	○ नहीं

4.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)		4.4 विद्यालय भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)	
4.5 विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	○ कृषि ○ आवासीय ○ वाणिज्यिक ○ संस्थानिक	4.6 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	○ स्वयं सोसाइटी का ○ किराये का ○ सार्वजनिक पार्क
4.7 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	○ हां ○ नहीं	4.8 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	○ हां ○ नहीं

4.9 भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	○ हां ○ नहीं	4.9.1 अभियंता का नाम	
4.9.2 अभियंता का पद		4.9.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान	
4.9.4 अभियंता का मोबाईल नंबर			
4.10 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○ हां ○ नहीं	4.10.1 अभियंता का नाम	
4.10.2 अभियंता का पद		4.10.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान	
4.10.4 अभियंता का मोबाईल नंबर			
4.11.क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?			○ हां ○ नहीं
4.12 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	○ हां ○ नहीं	4.13 क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटें ान लाईन गुजर रही है ?	○ हां ○ नहीं

7. पेयजल/सैनेटरी सुविधा का विवरण

5.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था हैं ?	○ हां ○ नहीं	5.2 यदि हां तो क्या–क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	○ नल ○ हेण्डपम्प/ट्यूबेल ○ टांका ○ टैंकर द्वारा
5.3 बालिकाओं के लिए पृथक भौचालय/मूत्रालय की संख्या		5.4 बालिको के लिए पृथक भौचालय/मूत्रालय की संख्या	

8. अन्य विवरण

8.1 कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	○ हां ○ नहीं	8.2 कक्षा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते है	○ हां ○ नहीं
8.3 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		8.4 पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या	
8.5 छात्रों के बैठने हेतु स्टूल, टेबल की संख्या			
8.6 क्या विद्यालय में सभी बालक–बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?			○ हां ○ नहीं
8.7 विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मेटेरियल की उपलब्धता है ?			○ हां ○ नहीं
8.8 विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?			○ हां ○ नहीं
8.9 क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?			○ हां ○ नहीं
8.10 क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?			○ हां ○ नहीं

9. इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण

कक्ष का विवरण	**कक्षों की संख्या**	**औसत साईज (in sq. Mt.)**	
9.1 कक्षा कक्ष		लम्बाई (in sq. Mt.)	चौड़ाई (in sq. Mt.)
9.2 प्रधानाध्यापक कक्ष			
9.3 कार्यालय कक्ष			
9.4 अध्यापक कक्ष			
9.5 खेलकूद कक्ष			
9.6 भण्डार कक्ष			
9.7 सभा भवन			

9.8 पुस्तकालय / वाचनालय			
9.9 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष			
9.10 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष			
9.11 जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष			
9.12 कृषि विषय के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाः कृषि भूमि सुविधा सिंचाई सुविधायुक्त, औजार एवं बीज भण्डार।			

10. विद्यार्थी का नामांकन विवरण

क्र. सं.	**कक्षा**	**कुल नामांकन**	**आरटीई में नामांकन**	**वार्षिक शुल्क**
1.	PP3+/LKG/Nur			
2.	PP4+/UKG/KG			

8. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता / पति का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	क्या शिक्षक टप्ब्ट्म्ब्ज्म्ज योग्यता रखता है	नियुक्ति तिथि	सैकण्डरी परीक्षा रोल नंबर	सैकण्डरी उत्तीर्ण वर्ष	कर्मचारी का मोबाईल नंबर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1													
2													

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव
मोहर

परिशिष्ट–3

समस्त प्रकार की मान्यता हेतु नवीन मान्यता/कमोन्नति/माध्यम/नाम/स्थान आदि हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना [illegible] आवश्यक सुविधाएं

क.सं.	विवरण	मान्यता का प्रकार								
		नवीन मान्यता		कमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक	अतिरिक्त माध्यम मा.वि./उ.मा.वि.	अतिरिक्त संकाय उ.मा.वि.	अतिरिक्त विषय उ.मा.वि.
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर				
1	2	3	4	5	6(*)	7(*)	8	9	10	11
1	कक्षा कक्ष	2	5	5	14 कक्ष (6*8) वर्ग मीटर प्रत्येक कक्ष	16 कक्ष (6*8) वर्ग मीटर प्रत्येक कक्ष	प्रा.वि.–4 एवं उ.प्रा.वि.–10	–	–	–
2	कार्यालय सह भण्डार कक्ष	1	1	1	64 वर्ग मीटर	64 वर्ग मीटर	1	–	–	–
3	शौचालय/मूत्रालय बालको के लिए	1	1	1	80 पर एक शौचालय/20 पर एक मूत्रालय	80 पर एक शौचालय/20 पर एक मूत्रालय	1	–	–	–
4	शौचालय/मूत्रालय बालिकाओं के लिए	1	1	1	40 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	40 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	1	–	–	–
5	सुरक्षित एवं पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
6	खेल मैदान एवं खेल का सामान	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
7	चार दीवारी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
8	पुस्तकालय सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
9	शिक्षण अधिगम सामग्री	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
10	अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण–50/रूपये के स्टाप पेपर पर शपथ	अग्निशमन यंत्र की रसीद अनिवार्य	अग्निशमन यंत्र की रसीद अनिवार्य	अग्निशमन यंत्र की रसीद अनिवार्य	अग्निशमन यंत्र की रसीद अनिवार्य	अग्निशमन यंत्र की रसीद अनिवार्य	अग्निशमन यंत्र की रसीद अनिवार्य	–	–	–
11	संस्था के भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाई टेंशन	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
12	संस्था के परिसर में मोबाईल टावर नहीं है–50/रूपये के	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	–	–	–
13	स्थान परिवर्तन	उक्तानुसार	उक्तानुसार	उक्तानुसार	–	–	उक्तानुसार	–	–	–
14	नाम परिवर्तन	उक्तानुसार	उक्तानुसार	उक्तानुसार	–	–	उक्तानुसार	–	–	–
15	माध्यम परिवर्तन	उक्तानुसार	उक्तानुसार	उक्तानुसार	–	–	उक्तानुसार	–	–	–
16	वर्ग परिवर्तन	उक्तानुसार	उक्तानुसार	उक्तानुसार	–	–	उक्तानुसार	–	–	–

*** नोटः– माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में क्रमोन्नति के लिये कक्षा 9–10 हेतु निर्धारित कक्षा–कक्ष 14 (6X8) तथा कक्षा 11–12 हेतु निर्धारित कक्षा–कक्ष 16 (6X8) कमरों के निर्धारित मापदण्ड है। परन्तु कम छात्र संख्या होने की स्थिति में विद्यालय के पास कुछ कक्षा–कक्षों के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नही होने की स्थिति में न्यूनतम 30 छात्रों की संख्या के अनुरूप (6X5) वर्ग मीटर का कक्षा कक्ष होना अनिवार्य हैं।**

परिशिष्ट–4

समस्त प्रकार की मान्यता हेतु नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/माध्यम/नाम/स्थान आदि हेतु न्यूनतम आवश्यक शिक्षक एवं कर्मचारीवृन्द

क्र.सं.	विवरण	मान्यता का प्रकार										
		नवीन मान्यता		क्रमोन्नति							स्थान परिवर्तन	
		प्राथमिक स्तर (प्रशिक्षित अध्यापक)	उच्च प्राथमिक स्तर (प्रशिक्षित अध्यापक)	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (प्रशिक्षित अध्यापक)	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (प्रशिक्षित अध्यापक)	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर (प्रशिक्षित अध्यापक)	अतिरिक्त माध्यम प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक (प्रशिक्षित अध्यापक)	अतिरिक्त माध्यम मा.वि. /उ.मा.वि.(प्रशिक्षित अध्यापक)	अतिरिक्त संकाय उ.मा.वि. (प्रशिक्षित अध्यापक)	अतिरिक्त विषय उ.मा. वि. (प्रशिक्षित अध्यापक)	उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक/उसी शहरी स्थानिय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक	वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन
1	संस्था प्रधान	–	1	1	–	–	–	–	–	–		–
2	शिक्षक–व्याख्याता (Grade-1)	–	–	–	–	एक संकाय में 3 एवं विषयानुसार	विषयानुसार	–	विषयानुसार	विषयानुसार	आवेदन के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षित अध्यपाक एवं कर्मचारीवृन्द आवश्यक है।	–
3	शिक्षक–व्याख्याता (Grade-1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
4	वरिष्ठ अध्यापक (Grade-2)	–	–	–	वरिष्ठ अध्यापक–3 विषयानुसार	वरिष्ठ अध्यापक–3 विषयानुसार	–	–	–	–		–
5	अध्यापक (Grade-3)	–	3 (Science/Mathematics-1, social Studies-1,language-1)	3 (Science/Mathematics-1, social Studies-1,language-1)	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	–	–	–	–		–
6	शिक्षक ग्रेड–3 लेवल–1	2	2	–	छात्र अनुपात अनुसार	छात्र अनुपात अनुसार	–	–	–	–		–
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
8	कनिष्ठ लिपिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
9	वरिष्ठ लिपिक	–	–	–	500 छात्र संख्या तक एक लिपिक ग्रेड–1 और अधिक पर दो लिपिक ग्रेड–2	900 तक एक वलि तथा तीन कलि	–	–	–	–		–
10	प्रयोगशाला सहायक	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
11	प्रयोगशाला हेतु पृथक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
12	सहायक कर्मचारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–

नोट– आवेदन करने वाली संस्था विशेष ध्यान रखें कि विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत अध्यापक एवं नवीन लगाये जाने वाले प्रस्तावित अध्यापक सभी प्रशैक्षिक योग्यताधारी हो।

परिशिष्ट 5–(ए)

सत्र 2020–21 हेतु नवीन मान्यता के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	**नवीन मान्यता**	
	प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5)	**उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5 के बाद कक्षा 6 प्रारम्भ करने के लिए)**
1	2	3
मान्यता आवेदन शुल्क (डी. डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. मुख्यालय / मा.शि.मुख्यालय के नाम)	2,500	2,500
मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन	–	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40000 / – अतिरिक्त मान्यता शुल्क
आरक्षित कोष की राशि (डी. डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	15,000	15,000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ. के नाम से)	50,000	1,00,000

परिशिष्ट 5–(बी)

सत्र 2020–21 हेतु क्रमोन्नति के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	**क्रमोन्नति**		
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 के लिए)	**उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 के लिए)**	**माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 के लिए)**
1	2	3	4
क्रमोन्नति आवेदन शुल्क (डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. मुख्यालय / मा.शि. मुख्यालय के नाम)	2,500	20,000	25,000
क्रमोन्नति की मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40,000 / – अतिरिक्त मान्यता शुल्क	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 10 के संचालन हेतु 40,000 / – अतिरिक्त मान्यता शुल्क	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 12 के संचालन हेतु 40,000 / – अतिरिक्त मान्यता शुल्क
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	15,000	60,000	1,00,000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ. के नाम से)	1,00,000	3,00,000	3,00,000

परिशिष्ट 5–(सी)

सत्र 2020–21 हेतु अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय हेतु संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय		
	अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय
1	2	3	4
अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन शुल्क (डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. मुख्यालय/मा.शि.मुख्यालय के नाम)	प्रा.–6,000 उ.प्रा.–9,000 मा.(1–10)– 15,000 मा.(6–10)– 10,000 उ.मा.(1–12)– 20,000 उ.मा.(6–12)– 15,000	25,000 प्रति संकाय	8,000 प्रति विषय
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	–	75,000 प्रति संकाय	–

परिशिष्ट 5–(डी)

	स्थान परिवर्तन **स्थान परिवर्तन हेतु कॉलम संख्या 02 अथवा 03 में से किसी एक का चयन किया जा सकेगा**				वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन	
फीस का विवरण	**1 किमी एवं 02 किमी से अधिक की दूरी के स्थान परिवर्तन**		**आरटीई नियमों के मापदण्डों से अधिक दूरी के 05 किमी तक की दूरी के स्थान परिवर्तन**		**स्थान परिवर्तन 5 किमी से अधिक दूरी (कॉलम संख्या 2 अथवा 3 का शुल्क लागू)**	**वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन**
1	2.		3.		4.	5.
स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम/ माध्यम परिवर्तन आवेदन शुल्क (ई–ग्रास के माध्यम से)	प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के मध्य में हीं 01 किमी एवं 02 किमी से अधिक दूरी के स्थान परिवर्तन के प्रस्तावों पर विद्यालय में आरटीई के तहत अध्ययनरत बालको की 08 वी कक्षा तक के शुल्क को राज कोष में जमा करवाना होगा। विद्यालय के आरटीई नियमों के तहत् निर्धारित किमी से अधिक के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विद्यालय में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बालको की 8वीं तक शैक्षिक अवधि के यूनिट कोस्ट (स्थान परिवर्तन के वर्ष में निर्धारित यूनिट कोस्ट) की राशि राजकोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।	प्रा.–10,000 उ.प्रा.–20,000 मा.–40,000 उ.मा.–50,000	आरटीई नियमों के मापदण्डों से अधिक दूरी के 05 किमी तक के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाना	प्रा.–10,000 उ.प्रा. –20,000 मा.–40,000 उ.मा. –50,000 **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु – 10,000 प्रति किमी. मा. एवं उमावि. स्तर हेतु –20,000 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (स्वीकृति जारी करने पर)**	प्रा.–10,000 उ.प्रा.–20,000 मा.–40,000 उ.मा.–50,000 प्रकरण का अनुमोदन शासन स्तर से लिया जायेगा।	प्रा.–10,000 उ.प्रा.–20,000 मा.–40,000 उ.मा.–50,000
आवेदन शुल्क की राशि (ई–ग्रास के माध्यम से)	–	–	–	–	–	छात्रा विद्याालय से सह शिक्षा विद्यालय में परिवर्तन जारी किये जाने की स्थिति में रूपये 50,000 अतिरिक्त राजकोष राशि (ई–ग्रास के माध्यम से)
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	–	–	–	–	प्रा.–4,000 उ.प्रा.–6,000 मा.–7,000 उ.मा.–10,000 **आरक्षित कोष की राशि तय समयावधि में जमा न करवाये जाने की स्थिति में प्रति 30 दिवस के अन्तराल में 25,000 रूपये विलम्ब शुल्क की राशि मूल राशि में सम्मिलित की जाएगी।**	–
दो पारी विद्यालय के संचालन की स्वीकृति चाही जाने की स्थिति	–	–	–	–	प्रा. एवं उप्रावि. –100,000 मा. एवं उमावि. –300,000	–

में(ई–ग्रास के माध्यम से)					उक्त निर्धारित राशि तय **समयावधि में जमा न करवाये जाने की स्थिति में प्रति 30 दिवस के अन्तराल में 25,000 रूपये विलम्ब शुल्क की राशि मूल राशि में** सम्मिलित की जाएगी। शासन द्वारा स्वीकृति ली जाएगी।	

परिशिष्ट 5–(ई)

सत्र 2020–21 हेतु प्रबंध कार्यकारिणी परिवर्तन/प्रबंध अंतरण हेतु शुल्क का विवरण

फीस का विवरण				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
कार्यकारिणी परिवर्तन/ प्रबंध अंतरण/सोसायटी के लिये शुल्क निर्धारण	प्राथमिक स्तर (1–5) –10,000	उच्च प्राथमिक स्तर (1–8) –20,000	माध्यमिक स्तर (1–10) –40,000	उच्च प्राथमिक स्तर (1–12) –50,000

संलग्नक–1

शपथ पत्र का प्रारूप

(यह शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं...पिता / पति..सोसायटी का पुरा नाम व पता...के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता...के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि–

(नोटः–प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

01. संस्था भवन में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
02. संस्था के प्रबन्ध मण्डल / सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते है तथा ना ही भविष्य मे भाग लेंगे।
03. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है। (रसीद संलग्न है)
04. संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
05. संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस–पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
06. संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
07. संस्था द्वारा राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तो की पालना की जायेगी।
08. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
09. संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठयक्रम एवं पाठय पुस्तको द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलैन्डर का पालन किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
13. संस्था के विरूद्व न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस–पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था मे सभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त है।
16. संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य / विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
17. विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
18. विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
19. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है / नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।

(नोटः–उपरोक्त की अतिरिक्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

20. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
21. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायको की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
22. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्राडबेड) की व्यवस्था कर दी गई है।
23. संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षायें संचालित नहीं की जायेगी।
24. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी।

यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या...से...में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सचिव
समिति का नाम..........................
समिति का रजिस्टेशन नम्बर व वर्ष

संलग्नक–2

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरणः–

क.स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
02.	सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
04.	विद्यालय नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादि के संबंध में कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
05.	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियॉ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति (भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेजों सहित)
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं.9(1) शिक्षा–5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट नवीन क्रमोन्नत विद्यालयों पर लागू नहीं)
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11.	विद्यालय की आय–व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षो की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)
12.	विद्यालय के पॉच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये है।
13.	मान्यता शुल्क का ई–ग्रास चालान

संलग्नक–3

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण

क.सं.	दस्तावेजों का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के भौतिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट एवं नक्शे की प्रति
4	शपथ पत्र
5	विद्यालय के पांच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
6	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण–पत्र

संलग्नक–4

शपथ पत्र का प्रारूप

(यह शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं.....................................पिता/पति..............................सोसाइटी का नाम व पता..................................के सचिव पद पर कार्यरत हूं। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय का नाम व पता...के संबंध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि–

1.विद्यालय भवन में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है।

2.विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है।

3. विद्यालय भवन व परिसर के उपर विद्युत हाई टेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

क्र.सं	सत्र	कक्षा कक्ष की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	सम्बंधित जिशिअ द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुर्नभरण की देय राशि	कुल पुर्नभरण की प्राप्त राशि

4. विद्यालय भवन व परिसर के आस–पास मोबाईल टावर लगा हुआ नहीं है।
5. विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी।
6. विद्यालय के प्रबन्धन समिति के सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
7. संस्था राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1989, नियम 1993 एवं राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान एवं सेवा शर्ते आदि) (संशोधित) नियम 2011 तथा बोर्ड की मान्यता सभी भौतिक एवं वितीय शर्तो की पालना की जाएगी।
8. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व नियम 2011 की अक्षरशः पालना की जाएगी।
9. विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा।
10.संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कलेण्डर (शिविरा पंचाग) का पालन करेगा।
11.संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही अध्ययन करवाया जाएगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम 2017 की पालना की जाएगी तथा बालक–बालिकाओं से निर्धारित फीस ही ली जाएगी।
13. संस्था के विरूद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकार कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस–पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था में कार्यरत सभी शिक्षक प्रशिक्षित एवं विषयानुसार है।